आवेदन पत्र नियम – 4

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भू–सतह उपयोग हेतु वन भूमि के लिये राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की धारा–2 अंतर्गत मंजूरी /स्वीकृति लेने का प्रारूप

01	परियोजना का ब्यौरा		
	i.	उन प्रस्ताव तथा परियोजना स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वन भूमि अपेक्षित है।	बगदेवा भूमिगत परियोजना, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर छ.ग. (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम) के अंतर्गत कोरबा ज़िले में सन् 1995 से संचालित है। यह परियोजना कोरबा शहर से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इस परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
	ii.	आपेक्षित वन क्षेत्र निकटवर्ती वन की सीमा को दर्षाने वाला मानचित्र तथा विभित्र प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक रैंक से नीचे न हो	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि 81.364 हे. क्षेत्र का निकटवर्ती वन की सीमा को दर्शाने वाला 15 कि.मी. परिधि का नक्शा चेक लिस्ट क्रमांक – 33 में संलग्र है। विभित्र प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा ऑनलाईन आवेदन के पार्ट–1 बी–2.4 में अपलोड किया गया है।
	iii.	परियोजना की कुल लागत	बगदेवा भूमिगत परियोजना, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र एवं 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल लागत रु 117.602 करोड़ है।
	iv.	परियोजना का वन क्षेत्र में लगने का औचित्य तथा इस क्षेत्र के लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई उनको देखते हुये और उनको नामंजुर करने का कारण बतायें।	कोयला परियोजना के क्षेत्र का चयन भूगर्भ में कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एसईसीएल बगदेवा भूमिगत परियोजना 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष के लिए 5 ग्राम – लखनपुर, विजयपुर, जवाली, अभयपुर एवं सिंघाली के शासकीय एवं कास्तकारी भूमि भी परियोजना में सम्मिलित है। वर्तमान में डेवलपमेंट पद्धति से कोयला उत्खनन के लिये वर्जीन पैच केवल एक साल के लिये उपलब्ध है । अत: कोयला उत्पादन हेतु डीपिलरिंग पद्धति ही एक मात्र साधन है । जिसके लिये राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन कोयला उत्खनन के लिए अति आवश्यक है। वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा वन भूमि अर्जन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का अर्जन करना अति आवश्यक है।
	v.	वित्तीय और सामाजिक लाभ	परियोजना हेतु 81.364 हे. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्राप्त होने से क्षेत्र में रोजगार का अवसर एवं व्यवसायिक गतिविधियॉं बढ़ेगी । सामुदायिक विकास होगा। साथ ही क्षेत्र में परिवहन एवं सूचना तंत्र मजबूत होगा।
	vi.	कुल लाभान्वित आबादी	1000
	vii.	सृजित रोजगार	प्रभावित राजस्व वन क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, अपितु प्रभावित निजी भूमि के बदले कोल इंडिया पुर्नवास नीति 2012 के नियमानुसार 170 प्रभावित भू–स्वामी के लिये रोजगार निर्मित होंगे। परियोजना के अस्तित्व में आने के कारण परियोजना के आसपास को 1000 से अधिक व्यक्ति परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करेंगे।
2		परियोजना का सीन	

2		परियोजना का सीन	
	i.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़
	ii.	जिला	कोरबा
	iii.	वन मंडल	कटघोरा
	iv.	कम्पार्टमेंन्ट राजस्व वनभूमि / वनभूमि छोटे–बडे झाड के जंगल	

क्रमांक	ग्राम का नाम	**राजस्व वनभूमि** **बगदेवा भूमिगत परियोजना** कुल रकबा 81.364 हेक्ट. **(FP/CG/MIN/60227/2020)** खसरा न.	रकबा (हेक्ट.)
01	सिंघाली	330/1	0.074
02	सिंघाली	8/1 क	27.595
03	अभयपुर	180	4.467
04	अभयपुर	230	0.874
05	अभयपुर	249	0.142
06	अभयपुर	283	4.03
07	जवाली	104/1	12.912
		104/8	0.081
		107/1	4.156
		108/1	4.768
		109/1	13.639
		113/1,4,5,6	7.887
		190/Part	0.739
	योग		**81.364**

3		मौजुदा भूमि उपयोग सहित परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा –	**बगदेवा भूमिगत परियोजना** **मौजुदा भूमि उपयोग का मदवार ब्यौरा :–** (पर्यावरण स्वीकृति 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष) का :– शासकीय भूमि – 76.810 हे. कास्तकारी भूमी – 143.510 हे. राजस्व वन भूमि – 282.280 हे. **कुल भूमि – 502.600 हे.** **वर्तमान प्रस्ताव में आवेदित भूमि का मदवार ब्यौरा :–** शासकीय भूमि – 0 हे. कास्तकारी भूमी – 0 हे. राजस्व वन भूमि – 81.364 हे. **कुल भूमि – 81.364 हे.**
4		शामिल वन भूमि का ब्यौरा	
	i.	वन का वैधानिक स्थित नाम आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत।	राजस्व वन भूमि
	ii.	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जाति और प्रजाति का ब्यौरा	मुख्यतः जलाउ लकड़ी
	iii.	वनस्पति की सद्यनता ।	वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल के गणना पत्रक में संलग्न
	iv.	वृक्षों की प्रजातियों तथा व्यास श्रेणीवार सार।	गणना पत्रक पृष्ठ क्रं. .... में संलग्न

	v.	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गम्भीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है या नही।	परियोजना के कारण विशेष भूमि कटान की संभावना नहीं है एवं यह क्षेत्र गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा भी नहीं है।
	vi.	क्या यह राष्ट्रीय वन उघान, वनजीव अभ्यारण्य, प्रकोष्ठ आरक्षित, प्रकोष्ठ आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा है, यदि हां तो उसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दे	राष्ट्रीय वन उद्यान या वनजीव अभ्यारण्य प्रकोष्ठ आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का हिस्सा नहीं है।
	vii.	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना के लिए संरक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा।	बगदेवा भूमिगत परियोजना में कोई संरक्षित वनभूमि नहीं है।
	viii.	क्षेत्र मे पाये जाने वाली दुर्लभ संकटापन जातियॉ व प्राणी जगत की प्रजातियॉ ।	बगदेवा भूमिगत परियोजना में कोई दुर्लभ संकटापन जातियॉ व प्राणी जगत की प्रजातियॉ का दृष्टि गोचर नहीं हुआ है।
	ix.	क्या प्रवासी जंन्तुओं के लिए एक पार्क स्थल है या उसके लिए प्रभाग भूमि भाग है।	नहीं।
	x.	प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्र का कोई अन्य महत्व ।	नहीं।
5		परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियॉ का ब्यौरा।	
	i.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	प्रस्तावित वन क्षेत्र में विस्थापित परिवारों की संख्या – शून्य
	ii.	विस्थापित होने वाले अनुसुचित जनजातियॉ के परिवारों की संख्या	प्रस्तावित वन क्षेत्र में अनुसुचित जनजातियॉ के परिवारों की संख्या – शून्य
	iii.	विस्तृत पुनर्वास योजना	आवेदित वन भूमि से किसी भी तरह की पुर्नवास नहीं किया जाना है।
6		क्षतिपूरक पुनर्वास योजना	
	i.	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए शिनाख्त किए गये गैर वन क्षेत्र अभिनित वन क्षेत्र का ब्यौरा, निकटपर्ती वनों से इसकी दुरी, हिस्सॉ की संख्या ,प्रत्येक हिस्से का आकार।	बगदेवा भूमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण क्षतिपूरक वन रोपण की आवश्यकता नहीं है।
	ii.	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए शिनाख्त गैर वन/अतिक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र।	बगदेवा भूमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण क्षतिपूरक वन रोपण की आवश्यकता नहीं है।
	iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियॉ कार्यान्वियन एजेंसी समय सूची लागत ढॉचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण	लागू नहीं है।
	iv.	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	लागू नहीं है।
	v.	वन रोपण के लिए क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाख्त किये गये क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टी से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र	लागू नहीं है।
	vi.	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए वनेत्तर भूमि ना होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र(यदि लागु हो)	लागू नहीं है।

7		परिपत्र लाईन के बारे में ब्यौरा (केवल परिक्षण लाईन के लिए)	लागू नहीं है।
8		सिंचाई / जल विद्युत परियोजना हेतु –(केवल सिंचाई / जल विद्युत परियोजना प्रस्ताव के लिए)	लागू नहीं है।
9		सडक / जल लाईन के बारे में ब्यौरा –(केवल रेल एवं रोड प्रस्ताओ के लिए)	लागू नहीं है।
10		खनन प्रस्ताव के बारे में (केवल खनन प्रस्ताव हेतु)	
	1	कुल खनि पट्टा क्षेत्र और आपेक्षित वन क्षेत्र	**बगदेवा भूमिगत परियोजना** **मौजुदा भूमि उपयोग का मदवार ब्यौरा :–** (पर्यावरण स्वीकृति 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष) का :– शासकीय भूमि – 76.810 हे. कास्तकारी भूमी – 143.510 हे. राजस्व वन भूमि – 282.280 हे. **कुल भूमि – 502.600 हे.** **वर्तमान प्रस्ताव में आवेदित भूमि का मदवार ब्यौरा :–** शासकीय भूमि – 0 हे. कास्तकारी भूमी – 0 हे. राजस्व वन भूमि – 81.364 हे. **कुल भूमि – 81.364 हे.**
	2	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	30 वर्ष
	3	वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्र में प्रत्येक खनिज कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	बगदेवा भूमिगत परियोजना 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष का दिनांक 31.03.2023 की तिथि में कोयले का अनुमानित भण्डार 12.56 मिलियन टन था जिसमें से प्रस्तावित वन क्षेत्र में लगभग 1.16 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भण्डार है।
	4	खनिज / कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	वर्तमान में बगदेवा भूमिगत परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 0.76 मलियन टन प्रति वर्ष है। वर्ष 2022–23 में इस परियोजना ने कुल 0.34 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया था।
	5	खनन कार्य का किस्म, खुली खदान/भूमि गत	भूमिगत खदान।
	6	चरणबद्व सुधार योजना	लागु किया जा रहा है।
	7	किस क्षेत्र में खनन कार्य किया जाएगा उसका प्लान	कुल 81.364 हे. राजस्व वन भूमि क्षेत्र में खनन कार्य किया जाएगा।
	8	पट्टा संलग्र की प्रति संलग्र किया जाये केवल नवींनीकरण हेतु	लागू नहीं है।
	9	नियुक्ति किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	नियुक्ति किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या शून्य हैं। वर्तमान में खदान में कार्यरत कर्मचारी ही कार्यरत रहेंगे।
	10	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल	81.364 हे. राजस्व वन भूमि
	क	खनन	81.364 हे.
	ख	खनन कच्चे धातु भण्डार	0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला
	ग	अधिभार का जमा कराना	लागू नहीं है।
	घ	औजारों और मशीनों का भण्डार	लागू नहीं है।
	.ड	भवनों बिजली घरों कार्यशालों आदि का निर्माण	लागू नहीं है।
	च	शहर / आवास कोलोनीयॉ निर्माण	लागू नहीं है।
	छ	सडक/राजमार्ग/रेलवे का निर्माण	लागू नहीं है।

	ज	अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि का सदुपयोग योजना	81.364 हे. राजस्व वन भूमि खनन कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा।
	11	परियोजना के संपूर्ण ऊपर क से ज तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिए वन भूमि मांग की गयी है उनकी वन क्षेत्र के बाहर शुरू सिमित व पिक जाने के क्या कारण है	कोयला परियोजना के क्षेत्र का चयन भूगर्भ में कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एसईसीएल बगदेवा भूमिगत परियोजना 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष के लिए 05 ग्राम – लखनपुर, विजयपुर जवाली अभयपुर एवं सिंघाली के शासकीय एवं कास्तकारी भूमि भी परियोजना में सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि का प्रत्यावर्तन कोयला उत्खनन के लिए अति आवश्यक है। वन भूमि की मांग न्यूनतम होने तथा वन भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।
	12	खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होनी वाली सम्मिलित क्षति और प्रमाणित होने वाले वृक्षों की संख्या	खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए मांग की गई वन भूमि राजस्व वन भूमि है एवं मौके पर स्थित वनस्पति की सघनता 0.4 से भी कम है। इसमें वृक्षों की गणना वन विभाग द्वारा किया गया है। उपरोक्त भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।
	13	बरहमासी नदियों मार्गो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण और जीव मंडल से रिजर्वो से खनन क्षेत्र की दुरी	परियोजना के दक्षिण–पूर्वी भाग में कोलार नाला प्रवाहित है, उत्तर–पूर्वी भाग में बिलासपुर–कटघोरा राष्टिय मार्ग है। परियोजना के समीप 15.00 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण और जीव मंडल का कोई भाग नहीं है। नक्शा चेक लिस्ट क्रमांक – 33 में संलग्न है।
	14	पुनः प्रयोग के लिए उपरी मृदा के भंडारण की प्रक्रिया	बगदेवा भुमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण उपरी मृदा के भंडारण की आवश्यकता नहीं है।
	15	भूमि का खनन कार्यो में अपेक्षित अवतल की मात्रा और ज्ल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	खनन की अपेक्षित गहराई समतल से 101–130 मीटर तक नियोजित है। खनन कार्य का अपेक्षित अवतल की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर प्रभाव न्यूनतम है।
11		लागत लाभ विश्लेषण	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के लिए लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
12		क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है हां / नहीं यदि हां तो क्या उसके लिए अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत कर दिए गए है हां / नहीं	एसईसीएल बगदेवा भूमिगत परियोजना 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार दवारा पत्र क्र. J-11015/1099/2007-IA-II(M) दिनांक 15.07.2009 को प्राप्त हुई है। प्रतिलिपि चेक लिस्ट क्रमांक – 11 में स्लग्न है।
13		क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोइ कार्य किया गया है, हां/नहीं यदि हां तो	नहीं।
	1	शुरू होने के तारीख सहित उसके ब्यौरे	निरंक।
	2	अधिकारी के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकंारी	निरंक।
	3	गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ की गयी/जा रही कार्यवाही।	निरंक।
	4	क्या अभी भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है	निरंक।
14		कोई अन्य सूचना	वन अधिकार मान्यता पत्र एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने हेतु एसईसीएल कोरबा क्षेत्र का वचन पत्र पृष्ठ. क्र. 272 में संलग्न है।

15		स्लग्र किये गए प्रमाण पत्रों दस्तावेजों का ब्योरा	ब्योरा सूची पृष्ठ. क्र. 358 में संलग्न है।
16		निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात–	
	1	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकडी और अन्य वन उत्पादन	सम्मिलित राजस्व वन भूमि में मुख्यतः जलाउ लकड़ी मौजुद हैं। बगदेवा भुमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण वन भूमि के वृक्ष प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
	2	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी की आपूर्ती पर आत्मनिर्भर है	नहीं है।
	3	परियोजना के कारण निम्न व्यवस्थाओं पर असर	
	(a)	ग्रामीण आबादी के लिए जलाने की लकडी की अर्थव्यवस्था और जीविका पर	ग्रामीण आबादी के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में विकल्प मौजूद है।
	(b)	आदिवासियों और पीछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका पर	आदिवासियों और पीछड़े समुदायों को परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार आदी में लाभ मिलेगा।
	4	कारण सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिए मुख्य वन संरक्षक / वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिश	अनुशंसा की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उद्देश्य के लिए सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित उद्देश्य के लिए वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

29/8/23

खान प्रबंधक
बगदेवा भूमिगत खदान

30/8/23

उपक्षेत्रीय प्रबंधक
ढेलवाडीह–सिंघाली–बगदेवा उपक्षेत्र

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

30/8/23

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र